29/1/19

अनुसार उभय पक्षों के प्र.प. 4 की ओर से उपस्थित होकर बहस सुनी। उभय पक्ष को सुना गया। प्रकरण बहसगत है एवं उभय पक्ष प्रकरण के निराकरण को तैयार हैं अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलार्थी आदेश अपास्त किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि शेष पक्षकारान को सुना जाकर पुनर्विमर्श निर्णय पारित किया जावे।

अ.पत्रावली के साथ शुरू से नम्बर से कम की जावे एवं बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर रहे।

सही/-

सुरेन्द्र मयूरिया
अपील अधिकारी
भरतपुर (राज.)